



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]
No. 185]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 13, 2007/चैत्र 23, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 13, 2007/CHAITRA 23, 1929

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(रसायन तथा पेट्रोसायन विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2007

सा.का.नि. 290(अ).—भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का निपटान) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक पीठासीन न्यायाधीश, द्वारा भोपाल गैस रिसाव हादसा के पीड़ितों के कल्याण हेतु आयुक्त का समवर्ती प्रभार संभालने हेतु नियुक्ति की अवधि में दिनांक 29-3-2007 से एक वर्ष का विस्तार करती है।

[फा. सं. 21/21/2002-भोपाल सेल]

बी. पी. पांडेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2007

G.S.R. 290(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby extends the tenure of Justice Shri Deepak Verma, a sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the Welfare of the victims of Bhopal Gas Leak Disaster, for a period of one year with effect from 29-3-2007.

[F. No. 21/21/2002-B. Cell]

B. P. PANDEY, Jt. Secy.